31/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी की बहस पर गौर फरमाया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दिनांक 01/06/2019 को प्रार्थिनी के हक में मौके की यथा-स्थिति बनाये रखने का अस्थाई स्थगन दिया था। वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस तर्क दिये हैं कि प्रार्थिनी ने केवल अपीलार्थी के विद्युत कनेक्शन को रोकने के लिए यह स्थगन लिया है। अन्यथा अपीलार्थी को काश्तकार अराजी के विभाजन से कोई ऐतराज नहीं है। प्रार्थना पत्र में भी कोई ऐसे आधार नहीं हैं कि जो धारा 212 RTA-1955 को आकृष्ट करते हैं। वकील अपीलार्थी ने यह केवल लगाने के लिए अपीलार्थी के राशि होने पर ... पेश की है। ... स्थगन दि. 01/06/2019 ... की अब आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.09.25 12:35:17 IST
Reason: SelfAttested